पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

अधिशासी अभियन्ता (स्काडा) कार्यालय

स्काडा खण्ड, विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा,
देहरादून–248002,फैक्स नं0 0135–2642400

पत्रांकः 1318 /अधि0अभि0(स्काडा)/पिटकुल/ दिनांकः 22/12/2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 तक के लिये प्रस्तावित सुमच्चय राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर) की स्वीकृति हेतु माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एस0एल0डी0सी की याचिका पर आपत्ति/विचार आंमत्रित करने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

मै0 नियती कम्युनिकेशन प्रा0लि0
दुकान सं–03 ग्राउड फलोर
तुला पैलेस, आराघर चौक
हरिद्वार रोड, देहरादून

1. एतद्द्वारा 02 नग विज्ञापन (01 नग अग्रेजी भाषा मे एवं 01 नग हिन्दी भाषा में) इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि विज्ञापन कम से कम स्थान पर निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

I.	टाईम्स आफ इंडिया, दिल्ली संस्करण	अग्रेजी भाषा में
II.	हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली संस्करण	
III.	दैनिक जागरण, उत्तराखण्ड संस्करण।	हिन्दी भाषा में
IV.	अमर उजाला, उत्तराखण्ड संस्करण।	

2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेशों की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटोप्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम तीन दिन के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/ भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. यदि आपके सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड़ तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
5. उक्त आदेशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गयें विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/ निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक : विज्ञापन सामग्री 02 नं0।

for अधिशासी अभियन्ता(स्काडा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य अभियन्ता (सी0एण्ड0आर) पिटकुल देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता (एस0एल0डी0सी) पिटकुल देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता (स्काडा), पिटकुल, देहरादून।
4. अधिशाासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल देहरादून का उक्त संलग्नक प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र की वेबसाईट www.uksldc.in एवं पिटकुल की वेबसाईट www.ptcul.org पर अपलोड करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आई0डी नं0: U40101UR2004GOI028675

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाश नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित समुच्चय राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) की स्वीकृति हेतु एस0एल0डी0सी0 की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0)/टैरिफ याचिका के मुख्य बिन्दु –

1. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0) देहरादून, जो कि दिनांक 27.11.2012 से उत्तराखण्ड राज्य में प्रान्तीय भार निस्तारण और ग्रिड नियंत्रण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन कर रही हैं, ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित समुच्चय वार्षिक आवश्यकता की स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। उपरोक्त वित्तीय वर्षो हेतु एस0एल0डी0सी द्वारा प्रस्तावित मांगो का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

कम स.	मद	वित्तीय वर्ष 2017–18 वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (ए0पी0आर0)		वित्तीय वर्ष 2018–19 वार्षिक समुच्चय राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0)	
		वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये MYT आदेश में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये MYT आदेश में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन
1	अवक्षयण	2.30	2.37	2.94	4.17
2	दीर्घकालीन ब्याज प्रभार	2.01	2.15	3.10	4.04
3	इक्विटी पर प्रत्यागम	0.59	0.62	2.05	2.12
4	संचालन एंव अनुरक्षण व्यय	9.58	9.19	11.25	15.26
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.67	0.64	0.83	1.10
6	**सकल व्यय**	**15.15**	**14.96**	**20.17**	**26.68**
7	घटाया : नॉन टैरिफ आय	0.00	0.00	0.65	0.00
8	**शुद्व व्यय**	**15.15**	**14.96**	**19.51**	**26.68**

2. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुमोदित व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल प्रस्तावित वृद्धि 76.11% की गयी है। यदि एस0एल0डी0सी का सम्पूर्ण दावा आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उपभोक्ता टैरिफ में उपाकालि द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से उपर 0.12% की अतिरिक्त वृद्धि करने की आवश्यकता पडेगी। प्रस्तावित शुल्क की वसूली लाभार्थीयों से उपयुक्त शुल्क एवं प्रभार के रूप में होना प्रस्तावित है।
3. पूर्ण याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशेन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, आई0एस0बी0टी0 के निकट, देहरादून–248001 पर निशुल्क देखी जा सकती है। याचिका से सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
4. उक्त याचिका के समस्त प्रस्ताव आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.uksldc.org) पर भी उपलब्ध है।
5. उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की प्रतिक्रिया/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन आई0एस0बी0टी0 के पास पो0ओ0–माजरा देहरादून–248171 में अथवा ई–मेल द्वारा (secy.uerc@gov.in) प्रतिक्रियाओं/टिप्पणीयों की विवरण सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिंनाक 31.01.2018 तक भेजे जा सकते है।

प्रबन्ध निदेशक

PTCUL

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

Corporate ID No. U40101UR2004GOI028675

Vidyut Bhawan, Near ISBT Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun- 248002,
Phone No. 0135-2642006 Fax 0135-2643460

Public Notice

Inviting Comments on the Petition filed by SLDC for approval of the Annual Performance Review for FY 2017-18 and Revised Aggregate Revenue Requirement for FY 2018-19

Salient Points of the ARR/Tariff Petition

State Load Despatch Center, which has been made operational for grid control and despatch of electricity and other related works w.e.f. November 27, 2012 in the State of Uttarakhand, has filed a petition before the Commission for approval of Annual Performance Review (APR) of FY 2017-18 and revised Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2018-19. The summary of SLDC for the aforesaid is given in the following Table:

Summary of the APR and ARR of SLDC (Rs Crore)

S.No	Particulars	FY 2017-18(APR)		FY 2018-19(ARR)	
		As Approved	Revised Estimates	As Approved	Revised Estimates
1	Depreciation	2.30	2.37	2.94	4.17
2	Interest on Long Term Loans	2.01	2.15	3.10	4.04
3	Return on Equity	0.59	0.62	2.05	2.12
4	O&M Expenses	9.58	9.19	11.25	15.26
5	Interest on Working Capital	0.67	0.64	0.83	1.10
6	**Gross Expenditure**	**15.15**	**14.96**	**20.17**	**26.68**
7	Less: Non Tariff Income	0.00	0.00	0.65	0.00
8	**Net Expenditure**	**15.15**	**14.96**	**19.51**	**26.68**

2. SLDC has proposed a total hike of 76.11% for FY .2018-19 over the approved SLDC charges for FY 2017-18. In case, the entire claim of SLDC is accepted by the commission, additional hike of 0.12% in consumer tariff shall be required over and above the hike proposed by UPCL. The recovery of the charges from the beneficiaries has been proposed through suitable fees and charges.
3. Detailed proposals can be seen free of cost on any working day at the Commission's office or at the office of Managing Director, Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, Vidyut Bhawan, Saharanpur Road, Majra, Near ISBT, Dehradun - 248001, Uttarakhand. Relevant extracts can also be obtained from the above mentioned offices of the Petitioner.
4. The proposals are also available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at SLDC's website (www.uksldc.org) .
5. Objections/suggestions are invited from the consumers and other stakeholders on the above proposals. These may be sent to the Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, either in person, or by post at Vidyut Niyamak Bhawan, Near I.S.B.T., P.O. Majra, Dehradun-248171 or through e-mail to secy.uerc@gov.in as a statement of objections or comments with copies of the documents and evidence in support thereof so as to reach the Secretary by 31.01.2018.

Managing Director